सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 297/17 **निर्णय दिनांकः**

1. भंवरलाल पुत्र मालाराम जाति मेधवाल निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 05—09—2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. सुश्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 05—09—2017 जिसके द्वारा अपीलांट को मोहरबन्द गजट में आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन दिनांक 23—05—2003 को चक 6 बी.एम. के मुरब्बा नम्बर 149/2 की 20.12 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आवंटन सहालकार समिति की राय से किया गया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन आदेश व कब्जे

बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते रहे है। अदालत मातहत द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुए यकायक दिनांक 05–09–2017 को अपीलांट का आवंटन यह कहते हुए सुओमोटो रिव्यु करते हुए खारिज किया गया कि आराजी जैर मोहरबन्द गजट में आरक्षित होकर मुताबिक रिकार्ड कोजराज सिंह पुत्र भूरसिंह, सीताकंवर पत्नि कोजराज सिंह साकिन 6 बीएम तहसील पूगल को आवंटनशुदा होकर रिकार्ड में दर्ज है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या उक्त रकबा सामान्य/भूमिहीन के तहत निर्विवाद रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध था अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को भूमिहीन के तहत आवंटन किया गया। इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में मोहरबन्द गजट के तहत अन्य को आवंटित हो चुकी है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आराजी जैर मोहरबन्द गजट की भूमि सामान्य में आवंटित नहीं की जा सकती। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया जाता है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से दिनांक 23–05–2003 को चक 6 बी.एम. के मुरब्बा नम्बर 149/2 की 20.12 बीघा भूमि का आवंटन किया गया

(2) प्रकरण में अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन सलाहकार समिति की राय से बाद जॉच आराजी जैर सामान्य/भूमिहीन श्रेणी में उपलब्ध होने के आधार पर आवंटित की गई। उक्त आराजी पूर्व में ही मोहरबन्द गजट में आरक्षित भूमि होने पर अन्य काश्तकार को आवंटित थी, इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है। आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को इस आधार पर खारिज किया गया है कि मुताबिक रिकार्ड वादगत् आराजी मोहरबन्द गजट में आरक्षित होने पर मोहरगन्द गजट के तहत कोजराज सिंह पुत्र भूरसिंह, सीताकंवर पत्नि कोजराज सिंह जाति राजपूत निवासी 6 बी.एम. तहसील पूगल को आवंटनशुदा होकर रिकार्ड में दर्ज है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आराजी को विशेष आवंटन गजट की होना बताया है जबकि अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन भूमिहीन के तौर पर किया गया था। जब आराजी जैर विशेष आवंटन हेतु आरक्षित थी तो उक्त आराजी का भूमिहीन के तौर पर आवंटन नहीं किया जा सकता था। अदालत मातहत को तत्समय ही संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट को अन्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया है। अपीलांट की भूमिहीन/सामान्य श्रेणी की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(5) अपीलांट को पूर्व में मोहरबन्द गजट में आरक्षित भूमि जो अन्य आवंटियों को आवंटित थी उक्त भूमि का अपीलांटको भूमिहीन/सामान्य श्रेणी के तहत आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि जो कि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित थी, का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(6) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आवंटन पश्चात् रिकार्ड में अमलदरामद हेतु बार–बार सम्पर्क किया जाता रहा है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलांट की पत्रावली पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। अपीलांट अन्तहीन समय तक अपने आवंटन के अमल दरामद हेतु इंतजार नहीं कर सकता। तत्पश्चात् आवंटन के करीब 14 वर्ष उपरान्त अपीलांट का आवंटन यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि आराजी जैर अन्य को आवंटनशुदा है व विशेष आवंटन हेतु आरक्षित है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया जाता है। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(7) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को आवंटित आराजी जैर का आवंटन अन्य को किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से

युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(8) इसप्रकार विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष न्यायालय के समक्ष पत्रावलियों के अभिवचनों एवं रिकार्ड के अवलोकन से प्रदर्शित होते हैः—

(क) तत्समय बड़ी मात्रा में भूमिहीन आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) आवंटनों हेतु आवेदनों की जॉच व परीक्षण करने में लापरवाही या त्रूटि से आवंटन कर दिये गये या आवेदन अनिर्णित भी रहे। या यह भी कि त्रूटिपूर्ण आवंटन भी कर दिया व तत्पश्चात् ज्ञात होने पर उस पूर्व आवंटन पत्रावली पर कोई कार्यवाही ना कर या स्वयं की गलती को छिपानें की गरज से उसी भूमि को अन्य को आवंटन कर दिया गया।

(ग) उक्त त्रूटि का लाभ उठाने हेतु तत्पश्चात् वर्षो बाद तकनीकी बिन्दुओं यथा विभागीय त्रूटि, बिना सूचना आवंटन खारिजी व वही रकबा अन्य को आवंटन या अपीलार्थी को बार—बार आवेदन पर भी विभागीय अकर्मण्यता का लाभ उठा कर उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर यथाशम्य स्व्यं के हित में आदेश प्राप्त कर अन्यत्र भूमि प्राप्त कर लेना—बड़ी संख्या में ऐसे मामलें आये है।

(घ) ऐसी दशा में यह भी देखने में आया है कि पूर्व का आवंटनशुदा रकब कब्जे के अभाव में या अन्यथा आवंटन पश्चात् भी अमलदरामद ना होने से पुनः आराजीराज आवंटन हेतु रकबे में जारी चला आते रहने से पुनः किसी अन्य या पश्चातवर्ती आवेदक को आवंटन हो गया या पश्चातवर्ती आवंटन पूर्णतया गलत रूप से आवंटित हुआ हो।

(ड़) उक्त सभी दशाओं में दोनों आवंटिती की पत्रावलियों की जॉच की जाकर यदि अपीलार्थी के आवेदन व आवंटन

सही है व आज भी बहाल चला आ रहा है एवं उसकी स्वयं की कोई त्रूटि नहीं है तो आवंटन अधिकारी/अधिनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्पूर्ण उक्त तथ्यों की जॉच कर कार्यवाही करें।

(9) जब अदालत हाजा के समक्ष उक्त तथ्य प्रस्तुत हो चुके है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय का कृतव्य है कि अपीलांट के विरूद्व हुई इसप्रकार की अनियमितता के संबंध में न्यायोचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त नहीं किया जाना व अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम रहते हुए अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटनशुदा भूमि/विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 05–09–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर